तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/6/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी धनपाल की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी खाता संख्या नया 371 पुराना 330 खसरा नं0 1749 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 1756 रकबा 0.84 है0, ख0नं0 1757 रकबा 0.13 है0 ख0नं0 1758 रकबा 0.38 है0 ख0नं0 1759 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 1760 रकबा 0.85 है0 कुल किता 6 रकबा 2.64 है0 वाके ग्राम अरण्डखेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है, जो प्रार्थी के पिता मोतीलाल पुत्र नारायण के खाते दर्ज रकार्ड है। प्रार्थी के दादा जी भवाना मीणा उर्फ नारायण मीणा है तथा बनियानी एवं किचलहेड़ा की जमाबंदी में प्रार्थी के दादा जी का नाम भवाना मीणा तथा अरण्डखेड़ा में जमाबंदी में प्रार्थी के दादा जी का नाम नारायण दर्ज है। अन्य सभी दस्तावेज में प्रार्थी के दादा जी का नाम भवाना हो रहा है। जिसके कारण मृतक फोती इन्तकाल खुलवाने में बहुत परेशानी आ रही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के दादा जी का नाम ग्राम अरण्डखेड़ा तहसील लाडपुरा स्थित आराजी में नारायण उर्फ भवानाक र रिकॉर्ड में दुरूस्तीक र दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान अन्य सहायता भी वादीगण को प्रतिवादी से प्रदान करवाई जावे। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया गया कि ग्राम अरण्डखेड़ा खाता नं0 371 खसरा नं0 1749 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 1756 रकबा 0.84 है0, ख0नं0 1757 रकबा 0.13 है0 ख0नं0 1758 रकबा 0.38 है0 ख0नं0 1759 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 1760 रकबा 0.85 है0 कुल किता 6 रकबा 2.64 है0 खातेदार मोतीलाल पुत्र नारायण जाति मीणा सा0 किचलहेड़ा खातेदार दर्ज रेकार्ड भू0 प्रबन्ध सेटलमेट जमाबन्दी संवत 2016–2024 खाता नं0 35 ख0नं0 35, खसरा नं0 104 में खातेदार मोतिया वल्द भवाना जाति मीणा सा0 दर्ज गांव वालो से पूछताछ की गई तो मोतीलाल पुत्र नारायण एवं मोतीलाल पुत्र भवाना एक ही व्यक्ति होना बताया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज ग्राम पंचायत बनियानी लेटर पेड, परिवार कार्ड का अवलोकन किया गया। दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि मोतीलाल पुत्र नारायण एवं मोतीलाल पुत्र भवाना एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी धनपाल द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को ग्राम अरण्डखेड़ा खाता संख्या नया 371 पुराना 330 खसरा नं0 1749 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 1756 रकबा 0.84 है0, ख0नं0 1757 रकबा 0.13 है0 ख0नं0 1758 रकबा 0.38 है0 ख0नं0 1759 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 1760 रकबा 0.85 है0 कुल किता 6 रकबा 2.64 है0 के राजस्व रिकार्ड में मोतीलाल पुत्र नारायण हिस्सा पूर्ण के स्थान पर मोतीलाल पुत्र नारायण उर्फ भवाना हिस्सा पूर्ण दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 24/6/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	